B.N. College, Bhagalpur

A Constituent unit of Tilka Manjhi Bhagalpur University

Department of History

Topic : Role of Woodrow Wilson in Paris Peace Conference(PPT)

Prepared by : Sri Pinku kumar
Asst. Professor (Dept. of History)
B.N. College Bhagalpur
Contact (whatsApp) no- 7982166260
Email id- kpinku348@gmail.com

पेरिस शांति सम्मेलन में विल्सन की भूमिका

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 11 नवम्बर, 1918 ई. को प्रथम विश्व-युद्ध की विराम संधि पर मित्र राष्ट्रों तथा जर्मन प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये, इसके साथ ही प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति हुई। प्रथम विश्व-युद्ध में जहां एक ओर अत्यधिक आर्थिक क्षति हुई तो वहीं दूसरी ओर भारी संख्या में नरसंहार हुआ। यही कारण है कि विश्व के सभी देश शांति स्थापना की ओर अग्रसर हुए। जर्मनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन की 14 सूत्रीय योजना को पढ़कर आत्मसमपर्ण किया था। अब शांति स्थापना एवं पराजित राष्ट्रों के साथ संधियां करने हेतु 1919 ई. में फ्रांस की राजधानी पेरिस में 'शांति सम्मेलन' का आयोजन किया गया।
- इस सम्मेलन में स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति तथा विभिन्न देशों के ग्यारह प्रधान मंत्री और बारह विदेश-मंत्री मौजूद थे। सोवियत रूस को सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। पराजित राष्ट्रों को भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया गया था, क्योंकि उनका काम केवल इतना ही था कि संधि का मसविदा पूर्ण हो जाने पर अपने हस्ताक्षर कर दे।

सर्वोच्च शांति परिषद का गठन

- हालांकि इतने बड़े सम्मेलन में इतने महत्वपूर्ण काम होना व्यावहारिक रूप से असंभव था। अत: सम्मेलन की कार्यवाही को चलाने के लिए दस व्यक्तियों की एक 'सर्वोच्च शांति परिषद' बनाई गयी। इस परिषद में तत्कालीन बड़े राष्ट्रों-अमेरिका, फ्रांस , ब्रिटेन, जापान और इटली के प्रतिनिधि शामिल थे।
- कालांतर में दस व्यक्तियों की परिषद भी शीघ्रता से काम करने और कार्यवाही की गोपनीयता रखने के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी साबित हुई। अत: मार्च, 1919 में यह काम केवल चार व्यक्तियों के जिम्मे ही सुपुर्द कर दिया गया। ये चार व्यक्ति -अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लिमेंशो तथा इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो थे। उपर्युक्त चार व्यक्ति ही गुप्त रूप से सभी भावी व्यवस्थाओं पर निर्णय लेते थे।
- 'सर्वोच्च शांति परिषद' के अतिरिक्त सम्मेलन में कई छोटे-बड़े आयोग और उप-समितियां भी बनायी गयी। जिनका प्रमुख कार्य था- विविध समस्याओं, राष्ट्रसंघ का गठन, हरजाने की रकम, अल्पसंख्यक जातियों की समस्या इत्यादि प्रश्नों पर विशद रूप से विचार करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

पेरिस शांति सम्मेलन के उद्देश्य

पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन सहित अन्य प्रतिनिधियों की भूमिका को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम इस सम्मलेन के उद्देश्यों को जानना आवश्यक है। पेरिस शांति सम्मेलन के इन प्रतिनिधियों के समक्ष निम्न उद्देश्य थे -

- आत्म निर्णय के सिद्धांत को कार्य रूप प्रदान करना।
- एक न्याय संगत एवं चिरस्थायी शांति संधि का मसौदा तैयार करना एवं उस पर हस्ताक्षर कराना।
- प्रजातंत्र की सुरक्षा को कायम रखना।
- राष्ट्र संघ के संविधान का निर्माण करना।
- विश्वयुद्ध की महाविभीषिका से आहत भूखी जनता को अनाज मुहैया कराना।
- प्रतिशोध की भावना से उत्तेजित मित्र राष्ट्रों की सेनाओं पर नियंत्रण कायम करना।
- अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों के अनुसार कार्य सम्पन्न करना।
- विजेता एवं पराजित राष्ट्रों को संतुष्ट करना।

वुड्रो विल्सन का दृष्टिकोण

- अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का व्यक्तित्व अनोखा था। वह पेरिस शांति सम्मेलन का प्रणेता था जिसने सम्मेलन के आरंभ में उच्च आदर्शों के कारण प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। स्वयं को मानव जाति की नई व्यवस्था करने वाला देवदूत समझता था।
- वह 14 सूत्री शांति स्थापित करना चाहता था तथा इसके लिए उसने अत्यधिक प्रयास किया। उसकी उपलब्धि की अपेक्षा उसका त्याग अत्यधिक था, किंतु उसका विश्वास था कि 'राष्ट्र संघ' की स्थापना से ही मानव जाति की रक्षा हो सकती है। अतः वह इसे शांति संधियों का अनिवार्य अंग बनाना चाहता था।
- किंतु वह मानसिक दृष्टि से लॉयड जॉर्ज तथा क्लिमेंसो के समान कुशाग्र बुद्धि वाला नहीं था और अपनी पूर्व निर्धारित विचारों पर विशेष रूप से भरोसा रखता था। अतः वह कूटनीति के क्षेत्र और राजनीतिक सौदेबाजी में नौसिखिया के रूप में सिद्ध हुआ। उसके आदर्शवाद और राष्ट्र संघ की स्थापना के अत्यधिक उत्साह का दूसरे देशों ने पूरा लाभ उठाया।
- अन्य देश राष्ट्र संघ के निर्माण की बात मान लें, इसके लिए विल्सन सब कुछ त्यागने को तैयार था। यहां तक कि राष्ट्र संघ के स्थापना के लिए वह अपने 14 सूत्रों के अनेक सिद्धांतों की अवहेलना करने के लिए भी तैयार हो गया।

वुड्रो विल्सन का दृष्टिकोण-1

- ❖कुछ विद्वानों का विचार है कि विल्सन ने स्वयं पेरिस में आकर एक भारी भूल की। यदि वह वाशिंगटन में रहकर ही अमेरिकन प्रतिनिधियों को आदेश देता रहता तो बहुत संभव था कि उसका प्रभाव अधिक व्यापक होता पर विल्सन को सर्वाधिक चिंता राष्ट्र संघ की थी और उसकी अभिलाषा थी कि विश्व संस्था के विधान का निर्माण वह स्वयं करें।
- ❖ वास्तव में यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा की जहां सम्मेलन में उसकी उपस्थिति स्वयं सम्मेलन के लिए हितकर न रही वहां अपने देश से दूर होकर वह अमेरिकी जनता से भी संपर्क स्थापित न रख सका। जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उसके द्वारा घोषित राष्ट्र संघ को उसके स्वयं के देश ने ही अस्वीकार कर दिया।
- ❖अमेरिकन सीनेट ने विल्सन के राष्ट्र संघ की सदस्यता के प्रस्ताव को नहीं माना। सन 1918 में कांग्रेस के चुनाव में विल्सन विरोधी रिपब्लिकन दल को कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त हो गया और सीनेट ने राष्ट्र संघ के विधान एवं वर्साय की संधि को स्वीकार करने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। यह मानवता के एक महान देवदूत का अपमान था।

पेरिस शांति वार्ता में विल्सन के 14 सूत्रीय सिद्धांत

पेरिस शांति वार्ता में विल्सन की भूमिका को समझने के लिए इस सम्मलेन हेतु उनके द्वारा प्रतिपादित 14 सूत्रीय सिद्धांत पर प्रकाश डालना आवश्यक है, जो कि निम्न है -

1.खुली संधियों- पहला सूत्र खुली संधियों करने से संबंधित था। यह इस दृष्टि से पूरा हुआ कि यह व्यवस्था की गई कि भविष्य में किसी भी संधि को गुप्त नहीं रखा जाएगा, सभी संधियों को प्रकाशित कर दिया जाएगा। वर्साय की संधि की धारा 18 में यह उल्लेख था कि 'राष्ट्र संघ' के सब सदस्य अपने द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय समझौतों को संघ के रजिस्टर में फौरन दर्ज कराएंगे तथा संघ के कार्यालय द्वारा उन्हें प्रकाशित किया जाएगा।

2.समुंदरों की स्वतंत्रता- समुंदरों की स्वतंत्रता के दूसरे सूत्र की पूर्ति नहीं हुई। विराम संधि से पहले ही मित्र राष्ट्रों ने इसे अस्वीकार कर दिया था।

3.व्यापारिक प्रतिबंध और चुंगी हटाना- तीसरा सूत्र व्यापारिक प्रतिबंध और चुंगी हटाने से संबंधित था।

पेरिस शांति वार्ता में विल्सन के 14 सूत्रीय सिद्धांत

इसका यद्यपि अनेक देशों द्वारा पालन नहीं किया गया तथापि वर्साय की संधि की धारा 23 (ई) में यह व्यवस्था थी कि राष्ट्र संघ इसके सब सदस्यों के लिए यातायात एवं आवागमन के मार्गों की स्वतंत्रता तथा सुरक्षा की व्यवस्था करने का कार्य करेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए धारा 331-32 द्वारा विभिन्न जलमार्गों एवं नदियों का अंतरराष्ट्रीयकरण किया गया।

4. शस्त्रीकरण को कम करना - चौथा सूत्र शस्त्रीकरण घटाने से संबंधित था। यद्यपि इस सूत्र का पालन नहीं हुआ किंतु इसके लिए वर्साय की संधि को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि संधि की धारा 8 के अनुसार निःशस्त्रीकरण को लागू करने की योजना बनाने का दायित्व राष्ट्र संघ की काउंसिल पर डाला गया था। पराजित राष्ट्रों की सैन्य शक्ति सीमित करके संधि में इस दिशा में पहला कदम उठाया गया लेकिन निःशस्त्रीकरण सम्मेलनों की विफलता के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पाया।

5. उपनिवेश का विभाजन - उपनिवेश के निष्पक्ष एवं न्याय पूर्ण विभाजन संबंधी पांचवें सूत्र के अनुसार जर्मनी एवं टर्की के उपनिवेश तथा साम्राज्य अधिग्रहित कर राष्ट्र संघ को दिए गए। राष्ट्रसंघ ने इसका शासनाधिकार अन्य विभिन्न देशों को सौंपा।

पेरिस शांति वार्ता में विल्सन के 14 सूत्रीय सिद्धांत

6.रूस में जर्मनी सेनाएं हटाने तथा उसे संघ में शामिल करना - रूस में जर्मनी सेनाएं हटाने तथा उसे संघ में शामिल करने के लिए निमंत्रण देने का छठा सूत्र भी पूरा किया गया। जर्मनी ने रूस पर 'व्रेस्ट-लिटोवसक' की संधि की जो कठोर शर्तें लादी थी, उनसे रूस को मुक्ति मिली और बाद में इस संघ का सदस्य भी बना लिया गया।

7.बेल्जियम की स्वतंत्रता - बेल्जियम की स्वतंत्रता का सातवां सूत्र पूरा हुआ।

8.अल्सेस-लॉरेन फ्रांस को लौटाने की व्यवस्था - आठवीं सूत्र के अनुपालन में अल्सेस-लॉरेन फ्रांस को लौटाने की व्यवस्था की गई।

9.इटली के राष्ट्रीय सीमांत का निर्धारण - नौवां सूत्र जो इटली के राष्ट्रीय सीमांत बनाने से संबंधित था, पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इटली को दक्षिणी टिरोल के ढाई लाख ऑस्ट्रियन, जर्मन तथा इस्ट्रीया प्रायद्वीप के 52% युगोस्लाव दिए गए।

पेरिस शांति वार्ता में विल्सन के 14 सूत्रीय सिद्धांत

10. ऑस्ट्रिया-हंगरी की पराधीन जातियों की स्वतंत्रता - दसवां सूत्र ऑस्ट्रिया-हंगरी की पराधीन जातियों को स्वतंत्रता देने से संबंधित था। यद्यपि यह शर्त पूरी हुई, परंतु इसके साथ ही कुछ जर्मन और मगयारों को विदेशी शासन में रख दिया गया।
11. बाल्कन राज्यों की व्यवस्था - 11वें सूत्र के अनुपालन स्वरूप बाल्कन राज्यों की व्यवस्था की गई।
12. टर्की से संबंधित व्यवस्था - टर्की से संबंधित बारहवें सूत्र का पालन नहीं हुआ। इसमें गैर तुर्क जातियों द्वारा बसे हुए प्रदेशों को स्वतंत्र नहीं किया गया, बल्कि राष्ट्र संघ के आदेश से इनका शासन मित्र राष्ट्रों को सौंपा गया।
13. पोलैंड के निर्माण का स्वतंत्र समुद्र मार्ग वाला 13वां सूत्र पूरा हुआ।
14. राष्ट्र संघ का निर्माण - राष्ट्र संघ के निर्माण का 14वां सूत्र भी पूरा हुआ।

पेरिस शांति सम्मेलन में विल्सन के 14 सूत्रों का महत्व

- अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों का विश्व शांति की कल्पना में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हलांकि विल्सन द्वारा प्रतिपादित 14 सूत्रों का पालन अक्षरश: तो नहीं किया गया परंतु कुछ क्षेत्रों में इसका पालन अवश्य किया गया।
- जहां तक अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रकाशित करने की व्यवस्था की बात है तो यह राष्ट्र संघ द्वारा किया गया, हालांकि इससे गुप्त संधियां नहीं टाली जा सकी फिर भी इसे एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। बेल्जियम से सेनाएं हटाई गई, अल्सेस-लॉरेन के प्रदेश फ्रांस को सौंप दिए गए।
- सामुद्रिक स्वतंत्रता की शर्त किसी ने स्वीकार नहीं की। जहां तक जलमार्ग के अंतरराष्ट्रीयकरण का प्रश्न था तो कुछ का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया गया, किंतु चुंगियों की व्यवस्था पहले की तरह ही बनी रही। नि:शस्त्रीकरण पराजित राष्ट्रों का ही किया गया।
- अमेरिका तथा इंग्लैंड के अलावा कोई भी देश इसे लागू नहीं होने देना चाहता था। साथ ही उपनिवेश के बंटवारे के आधार के रूप में संरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार गया, परंतु इसका भी पूर्णतया पालन न हो सका।

पेरिस शांति सम्मेलन में विल्सन के 14 सूत्रों का महत्व

- रूस से जर्मनी की सेनाएं हटा ली गई। ऑस्ट्रिया-हंगरी में रहने वाले अल्पसंख्यक जातियों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। टर्की के संबंध में भी पूर्णतया पालन ना हो पाया। राष्ट्र संघ की स्थापना अपने आप में महत्वपूर्ण कदम था।
- निष्कर्षतः इतना तो कहा ही जा सकता है कि विल्सन के 14 सूत्र अपने आप में महत्वपूर्ण थे और जितना भी उनका पालन हुआ उसने पेरिस शांति समझौते की कठोरता को कम करने में काफी मदद की। साथ ही उसके आदर्शों और सिद्धांतों ने वर्साय की संधि को अत्यधिक प्रभावित किया। यह सत्य है कि यदि पेरिस के शांति सम्मेलन में विल्सन के सिद्धांत का पूर्णतया पालन किया होता तो संभवतः द्वितीय विश्वयुद्ध नहीं हुआ होता और वैश्विक परिदृश्य कुछ और होता।